संचिका संख्या – 15/खा०–01–02/2026– ..../स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक – 10000, दिनांक – 10.07.2015 के कंडिका–3(3)(ख) के तहत अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–25.03.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा, जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–5701, दिनांक–25.03.2026 द्वारा निर्गत है, के आधार पर श्री अजय कुमार, सहायक अभिहित अधिकारी, पटना जिनका जन्म तिथि–10.03.1966 तथा सेवानिवृति की तिथि–31.03.2026 है, को संविदा के आधार पर उनके सेवानिवृति के उपरान्त रिक्त पद के विरूद्ध सहायक अभिहित अधिकारी के पद पर नियोजित किया जाता है।

2 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0– 10000, दिनाक – 10.07.2015 के कंडिका–3(2)(v) के आलोक में यह नियोजन दिनांक– 01.04.2026 से प्रथमतः दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यतानुसार एक–एक साल के लिए इनकी सेवा विस्तार कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3 इनका मासिक मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0– 10000, दिनाक– 10.07.2015 के कंडिका–3(6)(1) के आलोक में उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि मे से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि के घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि मे कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

4 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 – 10000, दिनांक – 10.07.2015 की कंडिका–3(4)(i-iv) के तहत किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द किया जायेगा।

5. मानदेय का भुगतान खाद्य से संबंधित विपत्र कोड–2802 के अंतर्गत संविदा सेवाएँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 – 10000, दिनांक – 10.07.2015 की कंडिका–3(6)(ii) के तहत सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा, जो इनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

7 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 – 10000, दिनांक – 10.07.2015 की कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति मे भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 – 10000, दिनांक – 10.07.2015 की कडिका– 5 नियोजित सहायक अभिहित अधिकारी को आकस्मिक अवकाश एव क्षतिपूर्ति अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

9. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–75(15B) **पटना/दिनांक–** 30/03/**2026**

प्रतिलिपि : अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–5701, दिनांक–25.03.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/श्री कृष्णा उराँव, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार, सहायक अभिहित अधिकारी, पटना एवं भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/03/2026
सरकार के उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।